न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./244/2019/भीलवाड़ा (2019/00244)

विभागीय अपील द्वारा श्री बंशीलाल कुम्हार तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत नाथड़ियास पंचायत समिति रायपुर हाल पंचायत समिति बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा, क्रमांक जिपभी/स्था0/विजा/–16/2017/16029–31 दिनांक 07–02–2018 के द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री बंशीलाल कुम्हार तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत नाथड़ियास पंचायत समिति रायपुर हाल पंचायत समिति बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा।

निर्णय

दिनांकः– 27.12.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 की धारा 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा, दिनांक 07–02–2018 के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 20.10.2015 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 16 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

परिवादी श्री रामलाल पिता नेनुराम सालवी के पिता नेनुराम पिता रामलाल को वर्ष 1971 में आराजी संख्या 45/1 में 10 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया गया। परिवादी की आराजी संख्या 45/1 की सटी हुई भूमि नये इन्द्राज में आराजी संख्या 802 आबादी भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 03.09.2012 को 09 व्यक्तियों को पट्टे जारी किये इस संबंध में दिनांक 14.12.2011 को परिवादी द्वारा

विधिक माध्यम से आपत्ति नोटिस ग्राम पंचायत को भिजवाया एवं अपने नोटिस में अंकन किया कि उक्त आराजियात के इन्द्राज दुरूस्त कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी रायपुर में प्रार्थना पत्र पस्तुत कर रखा है उक्त जगह के विवादित होने से वर्तमान में पट्टे जारी नहीं करे किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस की सुनवाई किये बिना ही परिवादी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किये एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 (आपसी बातचीत द्वारा भूमि विक्रय) में पटटे् जारी किये गये जो नीलामी प्रक्रिया नहीं अपनाकर विक्रय किये गये जो नियम विपरीत है जिसके लिये आप दोषी हैं एवं आपके विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के आप स्वयं जिम्मेदार हैं ।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इन्होंने निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर लगाये गये आरोप से असहमति व्यक्त की। इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस पेशी पर अपचारी कार्मिक उपस्थित हुए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कार्मिक को सुनने के पश्चात दिनांक 07–02–2018 को आदेश पारित किया जिसमें अपीलान्ट को उक्त विभागीय जांच में आरोप पूर्णतया सिद्ध हुआ मानकर इसके तहत अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया। इनका कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–2018 विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा अपनी प्रस्तुत अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उस पर लगाये गये आरोप संख्या 1 का जवाब देते हुए कथन किया गया है कि अनुशासनिक अधिकारी ने अपचारी पर आरोप किस आधार पर आयत किया गया उस जांच रिपोर्ट का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। आरोप पत्र जारी करने से पूर्व सीसीए नियमों के तहत अपचारी से जांच के अनुसार जवाब एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरान्त ही राजस्थान सीसीए नियम 16 के

अन्तर्गत जांच प्रारम्भ की जा सकती है। इस प्रकार की काई कार्यवाही नहीं किये जाने से सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही अपास्त योग्य है।

उन्होंने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि आरोप में यह अंकित किया गया कि भू–सेटलमेंट विभाग द्वारा नई इन्द्राज खतौनी में उक्त कृषि भूमि को 1.62 हैक्टर साढ़े सात बीघा इन्द्राज कर रखा है जो गलत इन्द्राज है। आरोप में उक्त तथ्य किस आधार पर अंकित किया गया व किन कानून व नियमों की अवहेलना हुई है कोई विवरण अंकित नहीं है। जिसके कारण आरोप का विधिवत खण्डन नियमों के तहत नहीं किया जा सकता है। आरोप में यह भी अंकित किया गया कि भू–सेटलमेंट विभाग का गलत इन्द्राज है'' का निर्णय आरोप में अंकित किया गया जो क्षेत्राधिकार में नहीं है। यदि भू–सेटलमेंट विभाग द्वारा कोई गलती गई गई तो परिवादी विधिवत सक्षम न्यायालय में सबंधित पक्षकारों के विरूद्ध वाद दायर कर न्याय प्राप्त करने का अधिकारी है। ग्राम पंचायत के नाम दर्ज आबादी भूमि के समस्त अधिकार ग्राम पंचायत को है तथा इस संबंध में ग्राम पंचायत के निर्णय एवं कार्यवाही को गलत नहीं ठहराया जा सकता है तथा अपचारी पर आरोप गलत एवं मिथ्या लगाये गये है। पत्रावली संख्या 22 सन् 1971 के तहत आबादी विस्तार हेतु कायम की जाकर सन् 1972 से ग्राम पंचायत नाथड़ियास को आवंटित होकर लगातार खाते में दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत नाथड़ियास का होकर समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत के अधीन होने से ग्राम पंचायत द्वारा की गई समस्त कार्यवाही कानून एवं विधिसम्मत है। अतः आरोप पत्र में अंकित तथ्य तथा इन तथ्यों के आधार पर पारित दण्डादेश दिनांक 7–2–2018 निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि परिवादी की आराजी संख्या 45/1 की सटी हुई भूमि आराजी संख्या सटी हुई भूमि आराजी संख्या 54/1 व 51/1 मीन को नये इन्द्राज में 801 में खाली इन्द्राज एवं 802 आबादी भूमि में 2.49 हैक्टेयर इन्द्राज कर रखा है पूर्व की आराजी संख्या 54/1 संपरिवर्तन भूमि होकर आबादी भूमि आराजी संख्या 802 में इन्द्राज कर रखी है। ग्राम पंचायत नाथड़ियास द्वारा दिनांक 3.9.2012 को उक्त आराजी संख्या 802 में 9 व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये इस संबंध में दिनांक 14–12–2011 को ही परिवादी द्वारा विधिक माध्यम से आपत्ति नोटिस ग्राम पंचायत नाथड़ियास को भिजवाया गया।

पत्रावली संख्या 22 सन् 1971 के तहत आबादी विस्तार हेतु कायम की जाकर सन् 1972 से ग्राम पंचायत नाथड़ियास को आवंटित होकर लगातार खाते में दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत नाथड़ियास का होकर समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत के अधीन होने से ग्राम पंचायत द्वारा की गई

समस्त कार्यवाही कानून एवं विधिसम्मत है। इस संबंध में अतिक्रमी को कोई आपत्ति या कोई विवाद था तो नोटिस के खिलाफ सक्षम न्यायालय में संबंधित पक्षकारों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाकर स्टे प्राप्त किया जाना चाहिए था। इस प्रकार ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर परिवादी द्वारा अतिक्रमण किया गया तथ ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध की गई कानूनी कार्यवाही न्यायोचित है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में ही 9 व्यक्तियों के पट्टे जारी किये गये अतः आरोप में अंकित तथ्य निराधार व मिथ्या होने तथा इसी आरोप पत्र के आधार पर दिया गया दण्डादेश विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि आरोप में यह भी अंकित किया गया है कि परिवादी श्री रामलाल पिता नेनूराम सालवी द्वारा दिनांक 14–12–2011 को जारी अपने नोटिस में अंकन किया गया कि उक्त आराजियात के इन्द्राज दुरूस्त कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी रायपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। उक्त जगह विवादित होने से वर्तमान में पट्टे जारी नहीं करे इसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर पंचायत राज नियम 1996 के नियम 156 में पट्टे जारी किये गये जो पंचायती राज नियम 1996 के आज्ञापक भूमि विक्रय संबंधी नियमों का उल्लंघन है। उक्त आरोप केवल मात्र परिवादी के आधार पर लगाया गया जो कानूनी व विधिसम्मत नहीं है। ग्राम पंचायत नाथड़ियास की आबादी भूमि का स्वामित्व व समस्त कानूनी अधिकार ग्राम पंचायत का है। इस प्रकार परिवादी के द्वारा प्रस्तुत सूचना पत्र में यह अंकित करना कि इन्द्राज दुरूस्ती कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी रायपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जबकि उपखण्ड अधिकारी रायपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता तो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होने से ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाता तथा माननीय न्यायालय से ग्राम पंचायत को नोटिस प्राप्त होते तथा ग्राम पंचायत की कार्यवाही के विरूद्ध स्टे प्राप्त किया जाता । इस प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई और न ही किसी न्यायालय का ग्राम पंचायत को स्टे प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण (क)(ख)(ग)(1)(2) के तहत कार्यवाही की जाकर किया गया जो ग्राम पंचायत के हित में था तथा ग्राम पंचायत के निर्णयानुसार किया गया जो विधिसम्मत व कानूनी है। उक्त 9 व्यक्तियों के पट्टों का अनुमोदन ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से अधिक राशि होने से पंचायत समिति रायपुर की साधारण सभा की बैठक दिनांक 10–1–2014 के प्रस्ताव संख्या 27 द्वारा अनुमोदन किया जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 7026 दिनांक 27–1–2014 से ग्राम पंचायत को उक्त पत्रावलियां भिजवाई गई । इस प्रकार समस्त कार्यवाही नियमों के तहत होना प्रमाणित होता

है। आरोप पत्र में अंकित तथ्य आधारहीन होने तथा इनके आधार पर पारित किया गया दण्डादेश गलत होने से अपास्त योग्य है।

उन्होनें यह भी कथन किया कि आरोप में 8 व्यक्तियों को 8 बीघा यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक–एक बीघा के पट्टे दिये है जबकि कुछ पट्टे 8 हजार स्क्वायर फिट के करीब जमीन के दिये है। 900 स्क्वायर फिट जमीन का पट्टा एक व्यक्ति को दिया है। इसलिए आरोप प्रथम दृष्टया ही उचित नहीं है। साथ ही ग्राम पंचायत नाथड़ियास को सन् 1972 से आबादी भूमि आवंटित होकर लगातार ग्राम पंचायत के नाम पर है जिसका स्वामित्व व समस्त कानूनी अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत निहित प्रावधानों के तहत की गई है जिसकी पुष्टि में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक दिनांक 10–1–2014 में पत्रावलियों का अनुमोदन किया गया तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये है जो विधिसम्मत है। इस प्रकार अपचारी कर्मचारी पर लगाया गया आरोप मनगढ़त होकर निराधार होने से तथा इस निराधार आरोप को सिद्ध मानकर दिया गया दण्डादेश दिनांक 7–2–2018 अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 07–02–2018 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा से पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि मानवाधिकार प्रकरण द्वारा श्री रामलाल पिता श्री नेनू सालवी का परिवाद जिला कलक्टर कार्यालय में प्राप्त होने पर उक्त परिवाद की जांच कार्यवाहक पंचायत प्रसार अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा की गई। उक्त प्रश्नगत जांच में कार्यालय के पत्र दिनांक 04.10.2016 से सरपंच श्रीमती मायादेवी सुथार एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव श्री बंशीलाल कुम्हार के विरूद्ध कार्यवाही / प्रस्तावित करने के निर्देश जारी किये गये।

विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर द्वारा पत्रांक 1390–94 दिनांक 20.10.2015 से ग्राम सेवक पदेन सचिव श्री बंशीलाल कुम्हार के विरूद्ध सी.सी.ए. 16 के तहत ज्ञापन, आरोप पत्र जारी किये गये। तत्पश्चात पंचायत समिति रायपुर के पत्रांक 401 दिनांक 22.07.2016 से श्री कुम्हार के सी.सी.ए. 16 की कार्यवाही जिला स्तर से सम्पादित करने हेतु आरोप पत्र प्राप्त हुआ। इस क्रम में कार्यालय के पत्रांक 4625 दिनांक 09.08.2016 से जांच अधिकारी एवं उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति की जाकर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गई। जांच रिपोर्ट में वर्णित अनियमितताओं के लिये सरपंच श्रीमती मायादेवी सुथार के विरूद्ध भी

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कार्यवाही बाबत प्रस्ताव संभागीय आयुक्त , कार्यालय में पत्रांक 763 दिनांक 20.10.2015 से प्रेषित किये गये। उक्त जांच में सरपंच श्रीमती मायादेवी सुथार के विरूद्ध बाद विस्तुत जांच संभागीय आयुक्त , कार्यालय द्वारा आदेश कमांक प–3/कोर्ट/ जांच/वि–055/डी–157/ 2016/ 16014–18 दिनांक 28.12.2017 से पारित निर्णयानुसार भविष्य में सतर्कता से कार्य करने की चेतावनी के साथ जांच प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

जांच में श्री बंशीलाल कुम्हार ग्राम सेवक पदेन सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत सगरेव पंचायत समिति रायपुर को उत्तरदायी मानते हुये कार्यालय जिला परिषद से पत्रांक 5021–5022 दिनांक 27.10.2016 से श्री कुम्हार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील)नियम 1958 के नियम 16 के तहत ज्ञापन आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र जारी कर तामील कराये गये। श्री कुम्हार को उस पर आयत आरोपों का जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30.01. 2017, 28.02.2017, 27.03.2017, 17.04.2017, 21.04.2017, 23.05.2017, 13.06. 2017 को अवसर प्रदान किये गये। श्री कुम्हार द्वारा दिनांक 13.06.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा सभी आरोप को अस्वीकार किया गया।

श्री कुम्हार पर एक आरोप आयत किया गया। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री कुम्हार के ग्राम पंचायत नाथडियास में ग्राम सेवक पद पर कार्यरत रहते पटटे् जारी किये गये जिसमें निम्नांकित अनियमितता पाई गईः– परिवादी श्री रामलाल पिता नेनुराम सालवी निवासी नाथडियास पंचायत समिति रायपुर के पिता नेनुराम पिता रायमल को वर्ष 1971 में आराजी संख्या 45/1 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया गया। भू–सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नई इन्द्राज खतौनी में उक्त कृषि भूमि को 1.62 क्षैत्रफल (हैक्टेयर) साढे सात बीघा इन्द्राज कर रखा हे जो विधि सम्मत नहीं होकर गलत इन्द्राज है। परिवादी की आराजी संख्या 45/1 की सटी हुई भूमि आराजी संख्या 54/1 व 51/1 मीन को नये इन्द्राज में 801 में खाली इन्द्राज एवं 802 आबादी भूमि में 2.49 हैक्टेयर इन्द्राज कर रखा है। पूर्व की आराजी संख्या 54/1 समपरिवर्तन भूमि होकर आबादी भूमि आराजी संख्या 802 में इन्द्राज कर रखी है। ग्राम पंचायत नाथडियास में द्वारा दिनांक 03.09.2012 को उक्त आराजी संख्या 802 में 09 व्यक्तियों को पट्टे जारी किये। इस संबंध में दिनांक 14.12.2011 को ही परिवादी द्वारा विधिक माध्यम से आपत्ति नोटिस ग्राम पंचायत को भिजवाया गया। परिवादी श्री रामलाल पिता नेनुराम सालवी द्वारा दिनांक 14. 12.2011 को जारी अपने नोटिस में अंकन किया कि उक्त आराजियात के इन्द्राज दुरस्त कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी रायपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। उक्त जगह विवादित होने से वर्तमान में पटटे् जारी नहीं करें। इसके उपरान्त भी

ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 (आपसी बातचीत द्वारा भूमि विकय) में पट्टे जारी किये गये जो पंचायती राज नियम 1996 के आज्ञापक भूमि विक्रय संबंधि नियमों का उल्लंघन करने के लिए श्री कुम्हार को उत्तरदायी माना गया है।

श्री कुम्हार द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया कि आरोप में अंकित तथ्य किस आधार पर लगाया गया है,किन नियमों की अवहेलना हुई, इसमें कोई विवरण अंकित नहीं किया गया जिससे उक्त आरोप का विधिवत खण्डन नियमों के तहत नहीं किया जा सकता। पत्रावली संख्या 22 सन 1971 के तहत आबादी विस्तार हेतु कायम की जाकर सन 1972 से ग्राम पंचायत नाथडियास को आवंटित होकर बदस्तूर खाते में दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत नाथडियास का होकर समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत के अधीन होने से ग्राम पंचायत द्वारा की गई समस्त कार्यवाही कानून एवं विधि सम्मत है। पंचायत की भूमि पर परिवादी द्वारा अतिक्रमण किये जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई। अतिक्रमी द्वारा ग्राम पंचायत को भिजवाया गया आपत्ति पत्र कानूनी रूप से सही नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र को खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अतिक्रमी को कोई आपत्ति या विवाद था तो नोटिस के खिलाफ सक्षम न्यायालय में संबंधित पक्षकारों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाकर स्टे प्राप्त किया जाता। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में ही 09 व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत सूचना पत्र में यह अंकित करना कि इन्द्राज दुरूस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी रायपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है, जबकि . उपखण्ड अधिकारी रायपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता तो ग्राम पंचायत को भी पक्षकार बनाया जाता। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान के पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण (क)(ख)(ग)(1)(2) के तहत कार्यवाही की जाकर किया गया जो ग्राम पंचायत के हित में था तथा ग्राम पंचायत के निर्णायानुसार किया गया जो विधिसम्मत व कानूनी है। उक्त 09 व्यक्तियों के पट्टों का अनुमोदन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षैत्र से अधिक राशि होने से पंचायत समिति रायपुर की साधारण सभा की बैठक दिनांक 10.01.2014 के प्रस्ताव संख्या 27 द्वारा अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही सी.सी.ए. 16 की कार्यवाही समाप्त कराने का निवेदन किया गया।

श्री कुम्हार द्वारा अपील में अंकित किया गया कि संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे सरपंच श्रीमती मायादेवी सुथार को संभागीय आयुक्त कार्यालय के यहा से चेतावनी देकर आरोप मुक्त किया गया एवं समान प्रकरण होने के कारण जिला परिषद से जारी आदेश को अपास्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की गई। श्री कुम्हार के विरूद्ध सम्पादित की गई विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर युक्तिसंगत

आदेश प्रसारित किया गया है। श्रीमती मायादेवी सुथार के क्रम में जारी आदेश पर टिप्पणी किया जाना उचित नही है। श्री कुम्हार को ज्ञापन, आरोप पत्र जारी करने से पूर्व एवं जांच पूर्ण करने के पश्चात दण्डादेश पारित करने से पूर्व भी युक्तिसंगत अवसर दिये जाने के बाद ही निर्णय आदेश कमांक 16029–31 दिनांक 07.02.. 2018 जारी किया गया जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यदि भू–सेटलमेंट विभाग द्वारा कोई गलती गई गई तो परिवादी विधिवत सक्षम न्यायालय में सबंधित पक्षकारों के विरूद्ध वाद दायर कर न्याय प्राप्त करने का अधिकारी है। ग्राम पंचायत के नाम दर्ज आबादी भूमि के समस्त अधिकार ग्राम पंचायत को है तथा इस संबंध में ग्राम पंचायत के निर्णय एवं कार्यवाही को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ग्राम पंचायत नाथड़ियास को सन् 1972 से आबादी भूमि आवंटित होकर लगातार ग्राम पंचायत के नाम पर है जिसका स्वामित्व व समस्त कानूनी अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत निहित प्रावधानों के तहत की गई है जिसकी पुष्टि में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक दिनांक 10–1–2014 में पत्रावलियों का अनुमोदन किया गया तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये है जो विधिसम्मत है। आरोप में 8 व्यक्तियों को 8 बीघा यानि प्रत्येक व्यक्ति को एक–एक बीधा के पट्टे दिये है जबकि कुछ पट्टे 8 हजार स्क्वायर फिट के करीब जमीन के दिये है, 900 स्क्वायर फिट जमीन का पट्टा एक व्यक्ति को दिया गया है इसलिए आरोप प्रथम दृटया ही उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त प्रकरण में अपीलार्थी स्वयं एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कथनानुसार श्रीमती माया देवी सुथार, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नाथड़ियास पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध प्राथमिक जांच में आरोपी पाये जाने पर इनके विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सरपंच को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 22 (2) के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जाकर उन्हें लिखित अभिकथन, दस्तावेज, साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। पूर्व

सरंपच को भी उक्तानुसार ही आरोप से आरोपित किया गया। आरोपी पूर्व सरपंच ने अवगत कराया था कि खसरा नम्बर 802 में कुल 08 व्यक्तियों को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के तहत पट्टे जारी किये गये थे चूंकि उक्त खसरा नम्बर ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के रूप में आवंटित किया गया था जिसमें पंचायती राज नियम 141 से 168 तक विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टे जारी किये गये परन्तु जांच अधिकारी द्वारा केवल 09 पट्टे ही जारी करने के उपरान्त भी उनके द्वारा खसरा नम्बर 802 के सम्पूर्ण रकबे का आरोपी बनाया गया है जो गलत है और इसी आधार पर उक्त प्रकरण में पूर्व सरपंच पर लगाये गये आरोप में उनकी कोई बदनियती दर्शित नहीं होने से श्रीमती माया देवी सुथार, पूर्व सरंपच ग्राम पंचायत नाथड़ियास पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा को भविष्य में सतर्कता से कार्य करने की चेतावनी देते हुए उनके विरूद्ध जांच प्रकरण को समाप्त किया गया है। उक्त समान प्रकरण में जब सरपंच को दोषमुक्त कर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कर्मचारी पर समान आरोप ये आरोपित कर एक वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित करना विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव ऐसी स्थिति में अपचारी कर्मचारी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपचारी ग्राम सेवक की अपील स्वीकार की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध पारित दण्डादेश क्रमांक जिपभी/स्था/वि.जांच–16/2017/16029–31 दिनांक 07–02–2018 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2020.04.07 13:06:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: